180

SPEED POST

No. A/2-1/2007-WII(Vol.X:2016-17/ Part1)

दिनॉक: 21 जून, 2016

सेवा में,

श्री दीपक थपलियाल
पट्टियोंवाला, मोहब्बेवाला
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान किये जाने विषयक।

संदर्भः आपके द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 10.09.2016।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा चाही गई सूचनायें बिंदुवार पॉच पेज में निम्नवत संलग्न हैः–

बिंदु संख्या 1:– संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में हुई। शासन द्वारा कुल 94.25 हे0 भूमि संस्थान को दी गई है।

बिंदु संख्या 2:– उक्त संबन्धित जानकारी संलग्न है।

बिंदु संख्या 3:– उक्त संबन्धित जानकारी लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन से संबन्धित है।

अगर आप उपरोक्त दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैः–

डा0 वी0बी0 माथुर
निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी
भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून – 248001
दूरभाष न0 0135–2640910

धन्यवाद,

22/6/16

भवदीय

(अजय श्रीवास्तव)
केन्द्रीय, लोक सूचना अधिकारी

0/c

संख्या:3321/14-3-928/1984.

प्रेषक,

श्री निर्मल कुमार जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (पर्वतीय),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वन अनुभाग-3 दिनांक: लखनऊ, [illegible] सितम्बर, 1986.

विषय:- भारतीय वन्य जीव संस्थान को स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित किये जाने हेतु चन्द्रबनी ब्लाक की 86 हे0 वनभूमि का भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या भू-6/1(सी-6)/61 दिनांक: 3-7-1984 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्णित परिस्थिति में राज्यपाल महोदय, भारतीय वन्य जीव संस्थान को स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित किये जाने हेतु चन्द्रबनी ब्लाक के खसरा प्लाट संख्या 2353, 2097 तथा 2067 की क्रमशः 8, 32 तथा 46 हे0 (सम्पूर्ण 86 हे0) वनभूमि, जिसका मूल्य 3,87,590 रुपये है तथा उस पर खड़े विभिन्न व्यास व प्रजाति के 6931 वृक्षों का मूल्य 24,32,709 रुपये है, भारत सरकार को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त वनभूमि पर खड़े वृक्षों का स्वामित्व उ0प्र0 वन विभाग का ही होगा और समय समय पर उनका आवश्यकतानुसार न्यूनतम पातन उ0प्र0 वन निगम के माध्यम से कराया जायेगा एवं काटे गये वृक्षों के एवज में वन निगम से प्राप्त रायल्टी को उ0प्र0 वन विभाग के सुसंगत राजस्व हेड में जमा किया जायेगा। जिन वृक्षों का पातन नहीं होगा उनकी देखरेख व सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय वन्य जीव संस्थान का होगा।

(2) हस्तान्तरित वनभूमि का उपयोग भारत सरकार द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी अंश का अन्य विभाग को हस्तान्तरण बिना प्रदेशीय सरकार की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त हस्तान्तरित वनभूमि भारत सरकार के प्रशासन एवं उपयोग

........2

में तब तक बनी रहेगी जब तक कि कथित प्रयोजन हेतु उन्हें इसकी आवश्यकता होगी तथा आवश्यकता समाप्त होने पर उक्त वनभूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः ही बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये प्रदेश शासन के वन विभाग को वापस हो जायेंगें।

2- ये आदेश वित्त।व्यय-नियन्त्रण। अनुभाग-8 की अशासकीय संख्या:ई-8-2274/x-84 दिनांक:22-9-84 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

।निर्मल कुमार जोशी।
विशेष सचिव।

संख्या:3321।1।/14-3-उपरोक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उ0प्र0।द्वितीय। इलाहाबाद।

2- प्रमुख वन संरक्षक,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- सचिव,भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,वन एवं वन्य जन्तु विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव।वन्य जीवन।भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,वन्य जीव प्रभाग,कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अपर मुख्य वन संरक्षक।गढ़वाल।,देहरादून।

6- निदेशक,भारतीय वन्य जीव संस्थान,देहरादून।

7- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 वन निगम,लखनऊ।

8- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

9- वित्त।व्यय-नियन्त्रण। अनुभाग-8

10- पर्वतीय विकास अनुभाग-3

11- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

।निर्मल कुमार जोशी।
विशेष सचिव।

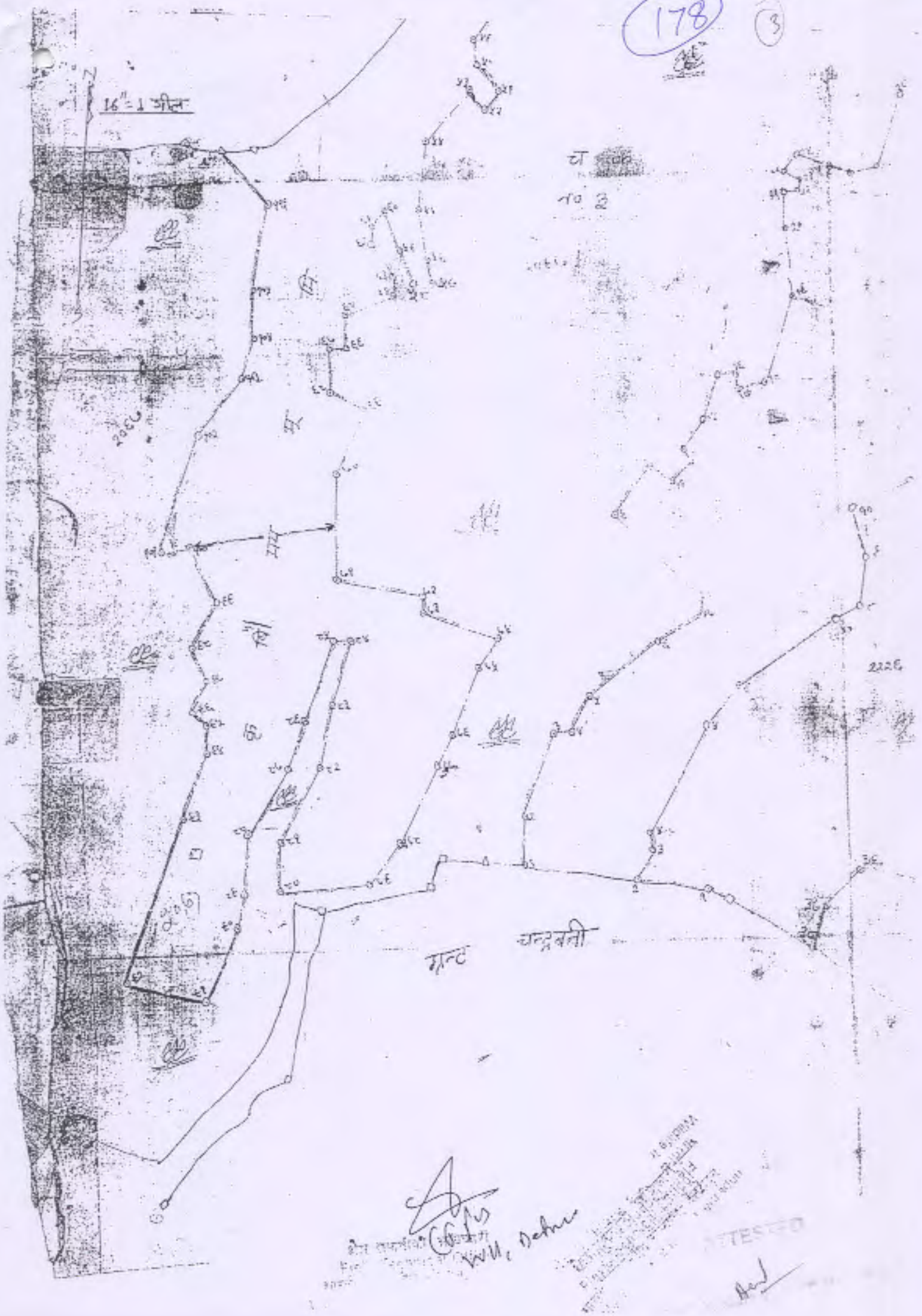

178

(3)

क्रम-संख्या—117

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट-एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 15 अक्तूबर, 1991

आश्विन 23, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वन अनुभाग—2

संख्या 3487/14-2—86-1987

लखनऊ, 8 अक्तूबर, 1991

अधिसूचना

प0आ0—490

भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/1/55–जुडिशियल (1), दिनांक 14 मई, 1955
के साथ पठित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के
अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक
प्रयोजन, अर्थात् जिला देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान के कैम्पस के निर्माण के लिए आवश्यकता है।

2—चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि
पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की, जिला देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान के कैम्पस के निर्माण के लिए
आत्यधिक आवश्यकता है और इस आत्यधिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के
अधीन जाँच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17
की उपधारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3487/XIV-2—86-1987, dated October 8, 1991 for general information :

No. 3487/XIV-2—86-1987

Dated Lucknow, October 8, 1991

UNDER sub-section (1) of section 4 of the land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification no. 20/1/55-Judicial (1), dated May 14, 1955, the Governor is pleased to notify for general information that

the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose namely for construction of Wild life Institute of India Campus in district Dehradun.

2. THE Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land inasmuch as the said land is urgently required for construction of Wildlife Institute of India Campus in district Dehradun and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an inquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

अनुसूची
SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Village	गाटा संख्या Plot no.	लगभग क्षेत्रफल एकड़ में Approximate area in acres
देहरादून Dehradun	केन्द्रीय दून Kendriya doon	आरकेडिया ग्रान्ट Arkedia Grant	2070	1.37
			2072	3.11
			2073	0.41
			2074	0.08
			2075	0.16
			2076	0.38
			2077	1.42
			2078	0.03
			2079	0.05
			2080	0.75
			2081	0.69
			2082	0.52
			2083	0.11
			2084	1.24
			2085	0.81
			2086	0.49
			2087	0.60
			2088	0.54
			2089	0.05
			2090	1.93
			2091	0.09
			2092	0.12
			2093	1.07
			2094	0.36
			2095	0.83
			2096	3.26
			योग Total	20.38 एकड़ Acres

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—भारतीय वन्य जीव संस्थान के कैम्पस के निर्माण हेतु ।

For what purpose required—For construction of Wild life Institute of India campus in district Dehradun.

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साइट प्लान) देहरादून के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

NOTE:—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Dehradun.

आज्ञा से,
नीरा यादव,
सचिव,

By order,
NEERA YADAV,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 727 राजपत्र (हि०)-(1703)-1991-1204+25(मे०) ।